फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री रोशनलाल **विपक्षी : श्री दौला**

किस्म मुकदमा – 251"क" रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 78/22**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 22.12.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता मय विपक्षी सं. 1, 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित हैं। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के अवलोकन से प्रकरण में प्रार्थी की आराजी नम्बर 1789 में आने जाने के लिए विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1787 व 1788 में से होकर 20 फीट चौडा रास्ता कायम किया जाने का निवेदन किया हैं। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट मे प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होना बताया हैं। प्रार्थी द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वह न्यूनतम दूरी का होकर प्रार्थी के खेत तक जाता हैं। उक्त रास्ता आराजी नम्बर 1787 रकबा 0.2509 हेक्टेयर में से 4 मीटर चौडाई तथा 46 मीटर लम्बाई रकबा 0.0184 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1788 रकबा 0.1619 हेक्टेयर में से 4 मीटर लम्बाई तथा 50 मीटर लम्बाई 0.0200 हेक्टेयर कुल रकबा 0.0384 हेक्टेयर भूमि रास्ते हेतु प्रयुक्त होती है, जिसकी डीएलसी दर 1,63,780/– प्रति बीघा के हिसाब से रास्ते की राशि 38,846/– रूपये होना बताया। तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई न्यूनतम दूरी का रास्ता नहीं होना बताया हैं। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु विपक्षीगण की जिस भूमि में से रास्ता चाह रहा है, वह वर्तमान में विपक्षी सं. 1 से 2 के नाम पर दर्ज हैं। विपक्षीगण द्वारा बावजूद सूचना उपस्थित होकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से कोई खण्डन नहीं किया, इससे भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को बल मिलता हैं। इस प्रकार नियमानुसार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना न्यायहित में उचित हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: : <u>आदेश</u> : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा माणक्यावास पटवार हल्का मांगथला की आराजी नम्बर 1789 में आने जाने हेतु विपक्षी सं. 1 से 2 की आ.न. 1787 रकबा 0.2509 हेक्टेयर में से (46X4मीटर) 0.0184 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1788 रकबा 0.1619 हेक्टेयर में से (50X4मीटर) 0.0200 हेक्टेयर कुल रकबा 0.0384 हेक्टेयर भूमि संलग्न राजस्व नक्शा ट्रेस में ए से बी तक का रास्ता प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात तक कायम किया जावें। इस प्रकार रास्तें में आने वाली भूमि की डीएलसी दर 1,63,780/– अक्षरे एक लाख तिरसठ हजार सात सौ अस्सी रूपयें प्रति बीघा के हिसाब से प्रस्तावित रास्ता 0.0384 हेक्टेयर की कुल कीमत 38,846/– रूपये बनती है, जिसका दुगुना 77,692/– रूपयें सतहत्तर हजार छः सौ बरानवे रूपयें राशि प्रार्थी से वसूल कर विपक्षी सं. 1 से 2 को क्षतिपूर्ति के रूप में दिलवाई जावें। उक्त राशि विपक्षी सं. 1 से 2 को भूगतान के पश्चात् इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। इस रास्तें पर प्रार्थी का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। इसी अनुसार रास्ता कायम कर तरमीम कर पालना पेश करें। पालना हेतु तहसीलदार घासा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2024.01.13 11:39:51 IST
Reason: SelfAttested